

परियोजना का नाम- जनपद बदायूँ में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-18) के किमी0 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।

वन स्वरूप भूमि प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) किमी0 163 से 208(400) तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के मध्य में बनाये जाने वाले डिवाइडर पर एवं सहस्रवान रेन्ज में मालपुर वन खण्ड तारानगला वीट 1 से 13 में, मार्ग में प्रयुक्त किये गये संरक्षित वन क्षेत्र के दोगुने क्षेत्रफल पर काटे गये वृक्षों की दोगुनी संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित स्थल पर चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं होगी।

प्रमुख प्रभार अधिकारी  
राज्य लोक निर्माण विभाग  
सां0 वां0 प्रभाग बदायूँ।

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
बदायूँ।